लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1504

28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जीआरईएटी योजना

1504. श्री दामोदर अग्रवाल:
श्री शशांक मणि:
डॉ. विनोद कुमार बिंद:
श्री मनीष जायसवाल:
श्री विजय कुमार दूबे:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री प्रवीण पटेल:
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:
श्री नव चरण माझी:
सुश्री बाँसुरी स्वराज:
श्री अभिमन्यु सेठी:
श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में स्टार्टअप्स पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुसंधान एवं उद्यमिता के लिए तकनीकी वस्त्र क्षेत्र के आकांक्षी नवप्रवर्तकों हेतु अनुदान (जीआरईएटी) योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं और इसके प्रारंभ होने के बाद से इसमें क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत श्रेणी-2 और श्रेणी-3 शहरों, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों, स्टार्टअप्स और नवप्रवर्तकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो इस योजना के अंतर्गत समर्थित अनुसंधान परियोजनाओं, युवा नवप्रवर्तकों और स्टार्टअप्स सहित तकनीकी वस्त्रों के व्यापक क्षेत्रों से जुड़े नवप्रवर्तकों और स्टार्टअप्स को प्रदान की जाने वाली 50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता का राज्य-वार, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और कर्नाटक शामिल हैं, का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत विकसित नवाचारों के वाणिज्यीकरण और उद्योग द्वारा प्रौद्योगिकियों को अपनाए जाने की निगरानी के लिए कौन-सा तंत्र अपनाया गया है;

(ङ) क्या इस योजना के अंतर्गत वित्तपोषित स्टार्टअप्स के मार्गदर्शन और उनकी प्रगति की निगरानी के लिए कोई समर्पित समीक्षा एवं निगरानी समिति गठित की गई है, यदि हाँ, तो कर्नाटक सहित राज्य-वार का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस योजना के अंतर्गत प्रोटोटाइप विकास और नवाचारों के लिए चिन्हित प्रौद्योगिकी क्षेत्रों तथा तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में स्टार्टअप्स के लिए नवाचार, उद्योग सहभागिता और बाजार तक पहुंच को सुदृढ़ करने हेतु किए गए उपायों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क): वस्त्र मंत्रालय वर्ष 2023 से राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) के तहत "तकनीकी वस्त्रों में महत्वाकांक्षी नवप्रवर्तकों के लिए अनुसंधान और उद्यमिता अनुदान (ग्रेट)" योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य युवा नवप्रवर्तकों, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और स्टार्ट-अप उद्यमों को उनके विचारों को वाणिज्यिक प्रौद्योगिकियों और उत्पादों में बदलने में सहायता प्रदान करके तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को सहयोग करना और विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय के माध्यम से विचारों और प्रोटोटाइप को उत्पादों में तेजी से बदलने की संस्कृति को बढ़ावा देना तथा तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में एक मजबूत स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना करना है। अपनी शुरुआत के बाद से, ग्रेट योजना के तहत कुल 31 स्टार्ट-अप को 15.40 करोड़ रुपये की कुल लागत पर मंजूरी दी गई है, जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 13.65 करोड़ रुपये है।

(ख): राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन एक अखिल भारतीय मिशन है। ग्रेट योजना के तहत, प्रत्येक अनुमोदित स्टार्ट-अप को 50 लाख रुपए की अधिकतम वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित देश भर के तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में पात्र स्टार्ट-अप के लिए खुली है। मिशन ने टीयर 2 और टीयर 3 शहरों सहित कई शहरों में ग्रेट योजना को बढ़ावा देने के लिए अनेक सार्वजनिक कार्यक्रम, कार्यशालाएं, प्रदर्शनियां, सेमिनार और आउटरीच गतिविधियां आयोजित की हैं। ये जागरूकता कार्यक्रम उन शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों, वस्त्र अनुसंधान संघों, स्टार्ट-अप इनक्यूबेटरों आदि के साथ आयोजित किए गए हैं जिनका उद्देश्य मिशन के विभिन्न घटकों को बढ़ावा देना और योजना से संबंधित जानकारी का प्रसार करना था।

(ग): ग्रेट योजना के तहत, 31 अनुमोदित स्टार्ट-अप प्रोटोटाइप विकास के लिए छह तकनीकी वस्त्र क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इनमें इंडुटेक (11), मेडिटेक (9), प्रोटेक (7), ओइकोटेक (2), बिल्डटेक (1), स्पोर्टेक (1) शामिल हैं। विभिन्न तकनीकी वस्त्र क्षेत्र के तहत स्टार्ट-अप का राज्य-वार विवरण निम्नलिखित है:

तकनीकी वस्त्र क्षेत्र	राज्य	स्टार्ट-अप्स की संख्या
इंडुटेक	आंध्रप्रदेश	1
	दिल्ली	2
	गुजरात	2
	कर्नाटक	1
	महाराष्ट्र	1
	तमिलनाडु	2
	उत्तर प्रदेश	2
मेडिटेक	दिल्ली	2
	गुजरात	1

तकनीकी वस्त्र क्षेत्र	राज्य	स्टार्ट-अप्स की संख्या
	महाराष्ट्र	2
	तमिलनाडु	4
	कर्नाटक	1
प्रोटेक	दिल्ली	1
	राजस्थान	1
	महाराष्ट्र	1
	पंजाब	1
	उत्तराखंड	1
	गुजरात	1
ओकोटेक	महाराष्ट्र	2
बिल्डटेक	उत्तर प्रदेश	1
स्पोर्टेक	महाराष्ट्र	1

(घ): ग्रेट दिशानिर्देशों के तहत, अंतिम परियोजना रिपोर्ट में उद्योग विशेषज्ञों/निवेशकों से प्राप्त इनक्यूबेटर द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रतिक्रिया के माध्यम से व्यावसायीकरण और उद्योग द्वारा अपनाए जाने को ट्रैक किया जाता है। इन्क्यूबेटर्स को नवाचारों को बाजार के लिए तैयार, उद्योग द्वारा अपनाए गए उत्पादों में बदलने में मदद करने के लिए तकनीकी/व्यावसायिक मार्गदर्शन, बौद्धिक संपदा और कानूनी सहायता, प्रशिक्षण और नेटवर्किंग सहायता प्रदान करने का भी आगे आदेश दिया गया है।

(ङ): अनुमोदित स्टार्ट-अप की प्रगति का आकलन करने और निगरानी करने के लिए एक समीक्षा और निगरानी समिति का गठन किया गया है, जिसके पास एनटीटीएम के तहत अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति को अनुदान की बाद की किस्तों को जारी करने और परियोजनाओं को बंद करने की सिफारिश करने का प्राधिकार है। इसके अलावा, योजना के बारे में सूचना प्रसारित करने और संभावित स्टार्ट-अप परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए उद्योग की भागीदारी में मदद करने के लिए देश भर में विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम, कार्यशालाएं, सेमिनार और आउटरीच गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।

(च): एनटीटीएम के तहत ग्रेट योजना पूरे देश में क्रियान्वित है और इस योजना के तहत अनुमोदित स्टार्ट-अप में उन्नत फंक्शनल टेक्सटाइल्स जैसे टैम्प्रेचर-रेसपोंसिव और सेल्फ-सेनिटाइजिंग फैब्रिक्स, ग्राफीन-आधारित सामग्री वाले स्मार्ट टेक्सटाइल्स, एनर्जी-हार्वेस्टिंग फैब्रिक्स, स्वास्थ्य सेवा के लिए शेप-मेमोरी वियरेबल्स, ऑटोमोटिव, निर्माण और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए हाई परफोरमेंस कंपोजिट सहित प्रौद्योगिकी डोमेन का एक विस्तृत स्पेक्ट्रम शामिल है। इनमें हेम्प-बायोप्लास्टिक कंपोजिट, बायोडिग्रेडेबल टायर यार्न और एल्गी डेराइव्ड लैदर जैसे सस्टेनेबल, बायो-बेस्ड नवाचारों के साथ-साथ सर्जिकल सिमुलेटर और एंटीमाइक्रोबियल टेक्सटाइल प्रौद्योगिकियों सहित मेडिकल और हेल्थ केयर सॉल्यूशन

भी शामिल हैं।

एनटीटीएम के तहत, सार्वजनिक कार्यक्रम, कार्यशालाएं, प्रदर्शनियां, सेमिनार और आउटरीच गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इन पहलों का उद्देश्य मिशन के विभिन्न घटकों को बढ़ावा देना है और शोधकर्ताओं और स्टार्ट-अप को अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने और खरीदारों और विक्रेताओं सहित उद्योग हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करना भी है, ताकि अनुसंधान परिणामों और संभावित स्टार्ट-अप परियोजनाओं का स्तर बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
